डाकघर अधिनियम, 2023

(2023 का अधिनियम संख्यांक 43)

[24 दिसम्बर, 2023]

भारत में डाकघर से संबद्ध विधि का समेकन और संशोधन करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम डाकघर अधिनियम, 2023 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "महानिदेशक" से केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त डाक सेवा महानिदेशक अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा महानिदेशक के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत कोई अधिकारी भी सम्मिलित है ;

(ख) "मद" से ऐसी अविभाजनीय वस्तु अभिप्रेत है जिसे डाकघर कोई सेवा प्रदान करने के लिए स्वीकार करता है ;

(ग) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है ;

(घ) "डाकघर" से डाक विभाग अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत डाकघर द्वारा कोई सेवा प्रदान करने के लिए प्रयुक्त प्रत्येक गृह, भवन, कक्ष, स्थान या कोई अन्य आस्ति भी सम्मिलित है ;

(ङ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है और "विहित" पद का तदनुसार अर्थान्वयन किया जाएगा ;

(च) "विनियम" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं ।

डाकघर द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं ।

3. (1) डाकघर ऐसी सेवाएं प्रदान करेगा जो केंद्रीय सरकार विहित करे ।

(2) महानिदेशक निम्नलिखित के लिए विनियम बना सकेगा,—

(क) उपधारा (1) में निर्दिष्ट सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक क्रियाकलापों के संबंध में ; और

(ख) उपधारा (1) में निर्दिष्ट सेवाओं के संबंध में प्रभार नियत करना और उनके निबंधन तथा शर्तें ।

(3) डाकघर द्वारा प्रदान की जाने वाली कोई सेवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अध्यधीन होगी ।

डाक महसूल स्टांप के संबंध में अनन्य विशेषाधिकार ।

4. (1) डाकघर के पास डाक महसूल स्टांप जारी करने का अनन्य विशेषाधिकार होगा ।

(2) महानिदेशक, डाक महसूल स्टांप और डाक सामग्री के प्रदाय और विक्रय से संबंधित विनियम बना सकेगा ।

(3) इस धारा में,—

(क) "डाक महसूल स्टांप" से डाकघर द्वारा प्रदान की गई ऐसी सेवा, जो विहित की जाए, के बारे में देय राशियों को व्यक्त करने के लिए, भौतिक या डिजिटल, किसी भी रूप में, केंद्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त किया गया कोई स्टांप अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत किसी वस्तु पर चस्पा, मुद्रित, समुद्भृत, सन्निहित, छापित या अन्यथा उपदर्शित स्टांप भी हैं ;

(ख) "डाक सामग्री" से डाकघर द्वारा जारी ऐसी सामग्री जैसे लिफाफे, पत्र कार्ड, पोस्टकार्ड पर उपदर्शित करने वाले मुद्रित स्टांप या उत्कीर्ण, जिन पर डाकघर द्वारा प्रदान की जाने वाली किसी सेवा के संबंध में देय राशि, पूर्व संदत्त की गई है, अभिप्रेत है ।

पते और पोस्ट कोड ।

5. (1) केंद्रीय सरकार, वस्तुओं पर पते, पता पहचानकर्ताओं और पोस्ट कोड के उपयोग हेतु मानक विहित कर सकेगी ।

(2) इस धारा में "पोस्ट कोड" से किसी भौगोलिक क्षेत्र या अवस्थिति की पहचान करने और वस्तुओं की छंटनी और परिदान की प्रक्रिया को आसान बनाने तथा अन्य प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त अंकों, अक्षरों या डिजिटल कोड की श्रृंखला या अंकों, अक्षरों या डिजिटल कोड का संयोजन अभिप्रेत है ।

अन्य देशों के साथ समझौता प्रभावी करने की शक्ति ।

6. केंद्रीय सरकार, डाकघर द्वारा किसी विदेश या विदेशी राज्यक्षेत्र में प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए भारत और उक्त विदेश या विदेशी राज्यक्षेत्र के मध्य किए गए समझौतों को प्रभावी करने के लिए नियम बना सकेगी ।

डाकघर द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के संबंध में देय राशियों की वसूली ।

7. (1) प्रत्येक व्यक्ति जिसने डाकघर द्वारा प्रदान की जाने वाली कोई सेवा अभिप्राप्त की है, ऐसी सेवा के संबंध में प्रभारों का संदाय करने के लिए दायी होगा ।

(2) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रभारों का संदाय करने से इन्कार करता है या उपेक्षा करता है तो ऐसी रकम उसी प्रकार वसूलनीय होगी मानो उसके द्वारा भू-राजस्व देय बकाया था ।

शासकीय चिह्न का कतिपय व्यक्त तथ्यों का साक्ष्य होना ।

8. केंद्रीय सरकार, व्यक्त तथ्यों को पृथम दृष्टया साक्ष्य के रूप में प्रयोग किए जाने के लिए वस्तुओं पर शासकीय चिह्न व्यक्त करने हेतु शर्तें विहित कर सकेगी ।

सीमाशुल्क प्राधिकारी को कोई वस्तु रोकने, खोलने या प्रतिधृत करने या वस्तु परिदत्त करने की शक्ति ।

9. (1) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, आपात या लोक सुरक्षा के हित में या इस अधिनियम अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के किन्हीं उपबंधों के उल्लंघन की दशा में डाकघर द्वारा पारेषण के क्रम में किसी वस्तु को रोकने, खोलने या प्रतिधृत करने हेतु किसी अधिकारी को सशक्त कर सकेगी ।

(2) केंद्रीय सरकार, उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी वस्तु का ऐसी रीति में, जो वह ठीक समझे, निपटान करवा सकेगी ।

(3) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, भारत की सीमाओं के भीतर या उससे बाहर प्राप्त और शुल्क के लिए दायी किसी वस्तु को रखने के लिए हिसाब में ली गई किसी मद या जिसमें कोई प्रतिषिद्ध वस्तु होने का संदेह हो, ऐसे सीमाशुल्क प्राधिकारी को या किसी अन्य प्राधिकारी को जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, परिदत्त करने के लिए डाकघर के किसी अधिकारी को सशक्त कर सकेगी और ऐसा सीमाशुल्क प्राधिकारी या ऐसा अन्य प्राधिकारी तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों के अनुसार ऐसी मद का निपटान करेगा ।

देयता से छूट ।

10. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, डाकघर को, डाकघर द्वारा प्रदान की जाने वाली किसी सेवा के संबंध में ऐसी देयता, जो विहित की जाए, के सिवाय कोई देयता उपगत नहीं होगी ।

(2) डाकघर का कोई अधिकारी डाकघर द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा के संबंध में हुई हानि के लिए तब तक दायी नहीं होगा जब तक वह कपट या जानबूझकर या चूक के कारण न हुई हो ।

महानिदेशक को नियम बनाने की शक्तियों से भिन्न, शक्ति का प्रत्यायोजन ।

11. केंद्रीय सरकार, नियम बनाने की शक्ति से भिन्न, अधिसूचना द्वारा महानिदेशक को, या तो आत्यांतिक रूप से या शर्तों के अध्यधीन, इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत कर सकेगी ।

नियम बनाने की शक्ति ।

12. केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों का कार्यान्वयन करने हेतु नियम बना सकेगी ।

विनियम बनाने की शक्ति ।

13. महानिदेशक, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों का कार्यान्वयन करने के लिए विनियम बना सकेगा ।

नियमों और विनियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना ।

14. इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम या विनियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । वह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किंतु नियम या विनियम के ऐसे उपांतरित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

15. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में आदेश द्वारा, जो व आवश्यक या समीचीन समझे, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी :

परंतु इस अधिनियम के आरंभ की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् इस धारा के अधीन कोई आदेश नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

निरसन और व्यावृत्ति ।

16. (1) भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 इसके द्वारा निरसित किया जाता है । 1898 का 6

(2) उपधारा (1) के द्वारा इस अधिनियम के निरसन के होते हुए भी, भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 के अधीन बनाए गए या बनाए जाने के लिए तात्पर्यित सभी नियम, अधिसूचनाएं और आदेश, जहां तक उनका संबंध उन विषयों से है जिनके लिए इस अधिनियम के अधीन उपबंध किए गए हैं और उससे असंगत नहीं है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए समझे जाएंगे और तब तक प्रवृत्त रहेंगे जब तक इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या अधिसूचना या आदेश द्वारा अधिक्रान्त नहीं कर दिए जाते । 1898 का 6